56/2017

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA N ICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH DU 096367

पं० नगीना स्मारक सेवा ट्रस्ट

ग्राम- मिश्रपुर, पोस्ट- लाटघाट, तहसील- सगड़ी, जिला- आजमगढ़,उ०प्र० भारत वर्ष।

यह न्यास विलेख आज दिनांक १०-०८-२०१७ को तहसील- सगड़ी जिला-आजमगढ़ में श्री मनीष कुमार मिश्र पुत्र स्व० नगीना मिश्र ग्राम- मिश्रपुर, पोस्ट- लाटघाट, तहसील- सगड़ी, जिला- आजमगढ़, उ०प्र० द्वारा घोषित किया गया है। जिन्हें आगे न्यासकर्ता/संस्थापक कहा जायेगा। क्योंकि न्यासकर्ता संस्थापक के पास रुपया १०,०००/- मात्र की राशि है। जिसे पुरुषार्थ एवं सामाजिक कार्यों हेतु दान देने की इच्छा करते हैं। न्यासकर्ता/संस्थापक उक्त राशि का अग्रिम न्यास बनाने हेतु इच्छुक है, जो समाज उत्थान एवं विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करेगा।

ट्रस्ट का न्यासकर्ता मैनेजिंग ट्रस्टी होगा जिसे आगे ट्रस्ट का प्रबन्धक कहा जायेगा। न्यासकर्ता/संस्थापक/प्रबन्धक की यह भी इच्छा है कि वह अपने विभिन्न स्रोतों से दान, अनुदान, उपहार, डोनेशन,ऋण, चन्दा, आदि के द्वारा ट्रस्ट का कोष सम्पदा एवं साधन को और बढ़ाया जा सके। ताकि ट्रस्ट अपने उद्देश्यों में प्रभावी रूप से सफल हो सके, और न्यासकर्ता/संस्थापक/प्रबन्धक ने अपनी इच्छा के अनुकूल रुपया. १०,०००/- नकद राशि ट्रस्ट को प्रदान की है ।

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BM 812665

क्योंकि वर्तमान में इस ट्रस्ट का पंजीकृत कार्यालय ग्राम- मिश्रपुर, पोस्ट- लाटघाट, तहसील- सगड़ी, जिला- आजमगढ़, उ०प्र० भारत वर्ष है, अधिक सुविधा जनक स्थान मिलने पर इस कार्यालय को समयानुसार समय-समय पर उचित स्थान पर स्थानान्तरित किया जा सकेगा । क्योंकि न्यासकर्ता/ट्रस्टी/ प्रबन्धक द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उद्देश्य निम्न प्रकार धारा पत्र घोषित किया जाता है ।

(इण्डियन ट्रस्ट एक्ट, १८८२ के अन्तर्गत कार्यरत ट्रस्ट)

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BM 812666

ट्रस्ट के मुख्य उद्देश्य निम्नवत है :-

१: कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत मानव जाति के विकास एवं उन्नति के लिए पूर्व-प्राइमरी स्तर से उच्च स्तर तक बालक/बालिका विद्यालयों, महाविद्यालयों, आवासीय विद्यालयों, अनावासीय विद्यालयों ,कान्वेन्ट,विद्यालयों,बालश्रमिक विद्यालयों,आश्रम पद्धति विद्यालयों, संस्कृत विद्यालयों, बौद्ध विद्यालयों, हरिजन विद्यालयों,अम्बेडकर विद्यालयों, उर्दू/अरबी/फारसी,हिन्दी, तेलगु, बंगाली, मराठी, अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों,विकलांग विद्यालयों, प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों,आँगन बाड़ी,बाल बाड़ी, पुष्टाहार योजनाओं, सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रमों, किसान महाविद्यालयों, चरवाहा विद्यालयों ,बालिका विद्यालयों/महाविद्यालयों, शिल्प विद्यालयों आदि की स्थापना एवं संचालन सम्पूर्ण भारत वर्ष सहित सम्पूर्ण विश्व में करने का प्रयास करना ।

२: निःशुल्क पुस्तकालयों,वाचनालयों, क्रीड़ास्थलों,छात्रावासों,अनाथालयों, वृद्धाश्रमों, विधवाश्रमों,नारी निकेतनों, बालसंरक्षण गृहों सामुदायिक उत्पादन केन्द्रों ,संग्रहालयों, प्रयोगशालाओं,आदि की स्थापना एवं संचालन करना ।

३: बाल श्रमिकों का चिन्हीकरण करना तथा उन्हें शिक्षित करने का प्रयास करना तथा बंधुआ मजदूरी को मुक्त करा कर उन्हें तथा बालश्रमिकों को शिक्षित प्रशिक्षित कर स्वरोजगार में स्थापित करने का प्रयास करना ।

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BM 812667

४: विकलांगो को निःशुल्क कृत्रिमअंग,भोजन,आवास,शिक्षा,वस्त्रादि प्रदान करना तथा उनके लिए कृत्रिमअंगो का क्रय व वितरण करना । तथा विकलांग जन अधिनियम (समानता,संरक्षण एवं अधिकार) १९९५ के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त समस्त योजनाओं को क्रियान्वित करना ।

५: कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत, कम्प्यूटर हार्ड वेयर,कम्प्यूटर साफ्ट वेयर,इन्टरनेट,साइबर कैफे,सिलाई,कढ़ाई,कटाई,बुनाई,तकनीकी, कुटीर, शिल्पकला, हस्तशिल्पकला, काष्ठकला,कम्प्यूटर,टंकण,आशुलिपि, इलेक्ट्रिकल्स एण्ड इलेक्ट्रानिक्स,पेंटिंग, जरीकढ़ाई, चिकनकढ़ाई, कालीनबुनाई,दरी बुनाई ,संगीत,नाट्य वाद्य कला,नृत्य, मोटर ट्रेनिंग कालेजो ,कृषि अनुसंधान केन्द्रो ,ब्यूटीपार्लरो,फोटोग्राफी,ए.सी.,रेफ्रिजरेशन, फैशन डिजाइनर,एक्स-रे,टेक्नीशियन,लैब,पैथालोजिस्ट,मोबाइल रिपेयरिंग, मासकम्युनिकेशन, साफ्टट्वायज,मूर्तिमिपेटर,माडलिंग, कुकिंग ट्रेनिंग, हेल्थ केयर ट्रेनिंग, टीचर ट्रेनिंग, नेटवर्क मार्केटिंग एण्ड रिसर्च ट्रेनिंग, प्रेस रिपोर्टर,प्रेस ट्रेनिंग,होटल मैनेजमेन्ट एण्ड आफिस मैनेजमेन्ट,बिजनेस डेवलपमेन्ट, ट्रेनिंग पेंटिंग,आई०टी० आई०, फाइन आर्ट,पालिटेक्निक आदि प्रशिक्षण केन्द्रो की स्थापना एवं संचालन करना ।

६: जनविकास हेतु विचारगोष्ठियो,प्रवचन सभाओ,अध्ययन शिविरो,स्मृति दिवसो तथा सांस्कृतिक उत्सवो का आयोजन एवं संचालन करना, तथा धर्मार्थ चिकित्सालयो की स्थापना एवं संचालन करना ।

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BM 812668

७: नदियों में गन्दे नाले के पानी व कचरे को जाने से रोकने के लिए कार्यक्रम बनाना तथा उसका संचालन करना एवं गंगा सहित अन्य नदियों, नालों एवं पोखरों आदि की सफाई कराने का प्रयास करना ।

८: गरीब,हरिजन,विकलांग,मेधावी,निराश्रित,असहाय,मृतक आश्रित सेनानियों के बच्चों बाल श्रमिको को निःशुल्क शिक्षा तथा पुस्तकें व अन्य शिक्षण सामग्री प्रदान करना तथा उनके लिए छात्रवृत्ति एवं छात्रावासों की व्यवस्था करना ।

९: पर्यावरण संरक्षण हेतु कार्य करना तथा वन व वन्य प्राणियों की रक्षा की भावना लोगों के अन्दर पैदा करना तथा वृक्षारोपण करना । प्रदूषण नियंत्रण हेतु मवेशी खानों,पशु अस्पतालों ,प्रदूषण जाँच केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन करना ।

१०: मानव संसाधन विकास मंत्रालय ,यूनीसेफ,डब्लू०एच०ओ० ,सिडबी, अपार्ड,कपार्ट,नाबार्ड नोराड ,डूडा ,सूडा, डाक्टर अम्बेडकर ग्राम,समग्र ग्राम,स्वर्ण जयन्ती, स्वरोजगार,स्वजल धारा,सिफ्सा आदि योजनाओं को जनहित में क्रियान्वित करना ।

११: बालक/बालिकाओ,कलाकारो,के शारीरिक ,बौद्धिक ,मानसिक तथा चारित्रिक विकास करना तथा उनके लिए समय-समय पर खेलों,सेमिनारों ,गोष्ठियों, प्रदर्शनियो आदि का आयोजन,संचालन करना सफल बालक/बालिकाओ, कलाकारो को पुरस्कृत करना

१२: भारत सरकार,प्रदेशसरकार,जिला ,तहसील,ब्लाक तथा न्याय पंचायत स्तर पर जन-विकास हेतु विशेषकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय की योजनाओं एवं विकास के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करना ।

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BM 812669

१३: वाटरशेड व जल प्रबन्धन एवं मैनेजमेन्ट योजनाओं को क्रियान्वित करना तथा ग्रामीणांचलों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का प्रयास करना।

१४: मातृ शिशु कल्याण योजनाओं को क्रियान्वित करना तथा लोगों को परिवार नियोजन अपनाने की सही व उचित सलाह देना तथा जगह-जगह निःशुल्क नसबंदी शिविरों,टीकाकरण शिविरों,पल्सपोलियो शिविरों,हैपेटाइटिस शिविरों,दवाखानों,वैरिटेबुल अस्पतालों,एड्स,अपंगता,कुष्ठ,अंधता निवारण केन्द्रों आदि की स्थापना एवं संचालन करना ।

१५: कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने हेतु मोमबत्ती,अगरबत्ती,दियासलाई,वाशिंगपाउडर, ब्लीचिंगपाउडर, साबुन,अचार,मुरब्बा,चिप्स, चाकलेट,नमकीन,बिस्कुट,नील,चाय,कागज की कप,प्लेट आदि बनाने हेतु प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन करना ।

१६: समाज में व्याप्त कुरीतियों यथा दहेज,बाल विवाह,नशा,शराब,गांजा,अफीम, भांग,तम्बाकू आदि का सेवन करने वालों को बचाने हेतु जागरूकता शिविरों एवं नशा उन्मूलन अस्पताल केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन करना ।

१७: गांवों का विकास करना तथा गांवों में निःशुल्क शौचालयों,मूत्रालयों,सफाई,पेयजल, तथा आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास करना, तथा स्वच्छ छवि के लोगों को राजनीति में लाने हेतु १०० प्रतिशत मतदान कराना व भारत के हर नागरिक को पहचान पत्र दिलाने का प्रयास करना, तथा भारत को स्वच्छ एवं शक्तिशाली देश बनाना ।

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BM 812670

-७-

१८: गृह मंत्रालय द्वारा संचालित एच०सी०आर०ए०, ३५ ए० सी०, ३५ ए० सी० १ व २ की समस्त योजनाओं को संचालित कर देश एवं समाज का विकास करना तथा इसके अन्तर्गत इण्टरनेशनल गेटवे एकाउन्ट संचालित करने का प्रयास करना एवं भूतपूर्व एवं शहीद सैनिकों के आश्रित/परिवार जनों के कल्याण के लिए कार्य करना

१९: कस्तूरबा गाँधी योजना द्वारा संचालित समस्त कार्यक्रमों को संचालित करना तथा इसके अन्तर्गत आने वाली शिक्षण संस्थाओं की स्थापना एवं संचालन करने का प्रयास करना ।

२०: युवाओं की मांगों को सरकार तक सद्भाव पूर्वक पहुँचाने का प्रयास करना तथा युवाओं में खेलों के प्रति जागरूकता पैदा करने का प्रयास करना ।

२१: दैवीय आपदा यथा बाढ़,सुनामी,भूकम्प,महामारी,ओलावृष्टि,तूफान, आदि के समय लोगों की यथा सम्भव मदद करना तथा पीड़ितों को निःशुल्क भोजन,दवा-इलाज, आवास,वस्त्रादि प्रदान करने का प्रयास करना ।

२२: वैकल्पिक ऊर्जा के श्रोतों एवं साधनों का विकास करना,उन पर महत्वपूर्ण शोध करना, उनके उपयोग के बारे में लोगों को जागृत करना,देश में आने वाले ऊर्जा संकट से बचने के लिए अधिकाधिक संख्या में वैकल्पिक ऊर्जा के साधनों का प्रयोग करने के लिए लोगों को प्रेरित करना तथा इसके प्रचार-प्रसार हेतु अतिरिक्त ऊर्जा श्रोत मंत्रालय,भारत सरकार एवं वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान,उत्तर प्रदेश से अनुदान/सहायता प्राप्त कर कार्यशालाओं एवं गोष्ठियों का आयोजन विभागीय अनुमति से करना, तथा ग्लोबल वार्मिंग को रोकने हेतु प्रचार-प्रसार करना ।

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BM 812671

२३: कम्प्यूटर प्रशिक्षण हेतु राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने का प्रयास करना ।

२४: स्वास्थ्य के संदर्भ में जागरूकता फैलाना तथा इसके अन्तर्गत स्वास्थ्यविभाग द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रमों के बारे में जन सामान्य को जानकारी प्रदान करने का प्रयास करना ।

२५: स्वास्थ्य के क्षेत्र में चल रहे अनुसंधानों में विभिन्न प्रकार से सहयोग प्रदान करने का प्रयास करना तथा गर्भवती महिलाओं की निःशुल्क जाँच व परीक्षण कराना एवं समय-समय पर टीकाकरण आदि कराने का प्रयास करना, कन्या भ्रूण हत्या को रोकने का प्रयास करना ।

२६: युवक व युवतियों में समाज सेवा देश सेवा,ग्राम सेवा,सदाचार ,कर्तव्य परायणता,सद्भाव आत्म विश्वास व स्वावलम्बन तथा भाईचारे की भावना जागृत करने का प्रयास करना

२७: राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत चल रहे मलेरिया, एड्स, कैंसर, टी०बी०,चेचक, आदि के उन्मूलन एवं नियंत्रण हेतु कार्यक्रमों में सहभागिता द्वारा लोगों को प्रशिक्षित करना तथा स्वास्थ्य सुविधाये विभागीय अनुमति से प्रदान करने का प्रयास करना ।

२८: सरकार द्वारा चलाये जा रहे न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रमों के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य की मूल भूत सुविधाओं को प्रदान करने में सहयोग प्रदान करना, तथा विश्व में भारत की पहचाना बनाना एवं भारत को विश्वगुरु बनाने का प्रयास करना ।

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

भारत

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BM 812672

२९: स्वास्थ्य, राष्ट्र व समाज निर्माण में सहयोग प्रदान करना तथा यूनानी, आयुर्वेदिक,प्राकृतिक चिकित्सा एवं योगा आदि को बढ़ावा देने का प्रयास करना तथा इसनिमित्त विद्यालयों महाविद्यालयों आदि की स्थापना व संचालन करने का प्रयास करना ।

३०: गांवों में रहने वाली गरीब जनता के स्वास्थ्य विकास हेतु जगह-जगह चौपालों,जनजागरूकता कार्यक्रमों,प्रदर्शनियों आदि के द्वारा लोगों को घरों में शौचालय बनाने के लिए प्रेरित करना तथा जगह-जगह निःशुल्क शौचालयों,मूत्रालयों,पेयजल सफाई आदि की व्यवस्था व संचालन करने का प्रयास करना ।

३१: औषधि कार्यों के लिए जड़ी बूटियों का उत्पादन व संग्रह करना, आयुर्वेदिक औषधियों का उत्पादन करना तथा उनके गुणवत्ता के बारे में लोगों को बताना तथा जल संरक्षण,जल चक्र व जल संसाधन से सम्बन्धित सभी कार्यक्रमों का संचालन करना एवं स्वच्छ पेयजल लोगों को उपलब्ध कराने का प्रयास करना ।

३२: गरीब असहाय,निराश्रित बालक/बालिकाओं की सामूहिक व पृथक-पृथक शादी विवाह कराना व उनके विवाह के समय यथाशक्ति भोज्य पदार्थ,टेन्ट आदि सामान उपलब्ध कराने का प्रयास करना तथा विवाहोपरान्त प्रमाण पत्र निर्गत करने का प्रयास करना

३३: कृषि उत्पाद बढ़ाने का प्रयास करना तथा किसानों को नये तकनीकियों, खादों,बीजों, कीटनाशक दवाओं उर्वर भूमि सुधार खादों के प्रयोग की विधि व मात्रा को बताना तथा उन्हें उपलब्ध कराने का प्रयास करना ।

३४: जेटोफर (डीजल का पौधा) सागौन का पौधा, रतन जोत पौधा, सफेद मुसली आदि की खेती को बढ़ावा देने का प्रयास करना तथा किसानों को इसके बारे में निःशुल्क प्रशिक्षण देना एवं जेटोफर के वृक्ष को लगवाने का प्रयास करना ।

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

भारतीय गैर न्यायिक
पचास रुपये
रु.50
FIFTY RUPEES
Rs.50
INDIA
INDIA NON JUDICIAL
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH
BN 812673

३५: जीव-जन्तुओं के कल्याणार्थ लोगों में जागृति पैदा करना ,तथा जीव -जन्तुओं के प्रति क्रूरता के दृष्टिकोण को बदलना तथा लोगों के अन्दर जीव जन्तुओं के प्रति दया भाव पैदा करने का प्रयास करना ।

३६: युवक/युवतियों के विकास हेतु मोटर ट्रेनिंग कालेजों की स्थापना एवं संचालन विभागीय अनुमति से करने का प्रयास करना, तथा आध्यात्मिक व व्यवसायिक शिक्षा का प्रबन्ध करना ।

३७: लेटोफर के बीजों का किसानों को उचित मूल्य दिलवाने एवं उसका क्रय-विक्रय करने का प्रयास करना, तथा ट्रस्ट के विकास हेतु हर सम्भव प्रयास करना ।

३८: भारत व विश्व में योग के माध्यम से संयम एवं सदाचार का भाव जागृत करने का प्रयास करना, तथा समाज में फैले भ्रष्टाचार, घूसखोरी आदि को जड़ से समाप्त करने का प्रयास करना ।

३९: स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने हेतु लोगों को प्रेरित करना तथा स्वदेशी खान-पान, रहन-सहन, दवा-इलाज, कपड़ा व स्वदेशी शिष्टाचार को बढ़ावा देने का प्रयास करना

४०: कृषि क्षेत्र में लोगों को स्वदेशी जैविक खादों को प्रयोग में लाने की सलाह देना तथा स्वदेशी जैविक खादों के निर्माण की विधि को लोगों बताना व स्वदेशी जैविक खाद को बनाने हेतु लोगों को प्रेरित करना ।

४१: कृषि यन्त्रीकरण को बढ़ावा देना तथा नये कृषि यन्त्रों को उपलब्ध कराने का प्रयास करना ।

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BM 812674

४२: यूनानी,आयुर्वेदिक चिकित्सा को बढ़ावा देने एवं किसानों के विकास हेतु औषधीय पौधों व वृक्षों का रोपण करना व करवाना एवं उनकी देख-रेख करना तथा उनके प्रभाव के बारे में लोगों को बताना तथा इनसे होने वाले लाभ का प्रचार-प्रसार करना तथा जगह -जगह निःशुल्क यूनानी,आयुर्वेदिक चिकित्सालयों,शिविरों ,दवाखानों आदि की स्थापना एवं संचालन विभागीय अनुमति से करने का प्रयास करना ।

४३: संस्था विकास हेतु आयकर अधिनियम की धारा १२ (ए) एवं ८० जी (५) की मान्यता प्राप्त करने का प्रयास करना ।

४४: ट्रस्ट के चल/अचल सम्पत्ति की देख-भाल व सुरक्षा करना, तथा उसकी बाउन्ड्री वाल तैयार कराने का प्रयास करना ।

४५: पर्यटन को बढ़ावा देने का प्रयास करना तथा पर्यटन स्थलों की देख-भाल व सुरक्षा करने का प्रयास करना, तथा देश-विदेश से आये आगन्तुकों के लिए विश्रामस्थलों,भोजन, दवा-इलाज वस्त्रादि का प्रबन्ध करने का प्रयास करना ।

४६: हरितक्रान्ति योजना को सफल बनाने का प्रयास करना तथा उसके द्वारा संचालित समस्त कार्यक्रमों का आयोजन एवं संचालन विभागीय अनुमति से करने का प्रयास करना ।

४७: ग्रामीण कृषकों के समस्याओं को हल कराने का प्रयास करना तथा सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न प्रकार की कृषि योजनाओं को ग्रामणी कृषकों को उपलब्ध कराने का प्रयास करना ।

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

भारतीय गैर न्यायिक
बीस रुपये
Rs.20
रु.20
TWENTY RUPEES
INDIA
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 36AA 132441

४८: कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत ओल्ड एज होम की स्थापना करना,जिसके अन्तर्गत वृद्ध पुरुष, महिला जो असहाय हो, उनके लिए आवासीय व्यवस्था करना उनकी देख-रेख चिकित्सा व उनके पुनर्वासन एवं अंतिम संस्कार की व्यवस्था लिए कार्य करना ।

४९: भूमि भवन आदि का निर्माण व क्रय-विक्रय (प्रापर्टी डीलर) व ठेकेदारी आदि से सम्बन्धित हर प्रकार का कार्य करना ।

५०: किसी भी बैंक अथवा वित्तीय संस्था किसी राष्ट्रीय बैंक से ऋण,अनुदान आदि प्राप्त करना या किसी भी राजनेता यथा सांसद, विधायक,मंत्री,राज्यमंत्री ,राज्य सरकार, केन्द्र सरकार, विदेशी सरकार आदि से सहायता दान,चन्दा, अनुदान आदि प्राप्त करना ।

५१: विभिन्न प्रकार के सरकारी एवं गैर सरकारी यथा राज्य सरकार, केन्द्र सरकार व अन्तर्राष्ट्रीय सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रमों के संचालन में सहयोग प्रदान करना अथवा संचालित करने का प्रयास करना ।

५२: मेड़बन्दी, भूमिसमतलीकरण एवं अन्य कृषि यान्त्रिकी को प्रोत्साहन देना, तथा उससे सम्बन्धित योजनाओं का आयोजन एवं संचालन विभागीय अनुमति से करने का प्रयास करना ।

५३: दलहनी, तिलहनी व अन्य सभी फसलों के सुरक्षा हेतु कटीले बाड़ों से खेत को चारो तरफ से घेरवाने का प्रयास करना, तथा उनसे होने वाली सुरक्षा के बारे में किसानों को अवगत कराने का प्रयास करना ।

५४: सिंचाई संसाधन का विकास करना, तथा वर्षा के जल को एकत्रित करने हेतु किसानों को जागरूक करना ।

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

36AA 132442

५५: सिक्योरिटी गार्डो को प्रशिक्षण देना, तथा सशस्त्र सिक्योरिटी गार्ड,डंडा मैन,गन मैन,लेबर,कर्मचारी,आदि उपलब्ध कराने का प्रयास करना ।

५६: पशु चिकित्सालयो व पशु सेवा सदनो की स्थापना व संचालन विभागीय अनुमति से करने का प्रयास करना ।

५७: मुस्लिम समुदाय के विकास हेतु भारतीय संविधान की धारा २९ व ३० के अनुसार अल्पसंख्यक विद्यालय,महाविद्यालय की स्थापना एवं संचालन करके अल्पसंख्यक विशेषकर मुस्लिम छात्र-छात्राओ को शिक्षित करने का प्रयास करना ।

५८: मुस्लिम माइनारिटी के नियमो का पालन करते हुए मदरसो,मकतबो, तहतानियां, फौकानियां,आलिया,हाफिज,कारी,मुन्शी,मौलवी,कामिल, आलिम,फाजिल, मुफ्ती,निजा मदरसो तथा उच्च स्तर तक की शिक्षा देने हेतु विद्यालयो महाविद्यालयो की स्थापना एवं संचालन विभागीय अनुमति से करने का प्रयास करना ।

५९: परियोजना क्षेत्र मे उपलब्ध बीहड़ एंव बंजर (कृषि एवं अकृष्य भूमि)अनुपजाऊ/कम उपजाऊ भूमि को भूमि सैनिको/लाभार्थी कृषको द्वारा सुधार करना ।

६०: ऊसर, बीहड़ एवं बंजर भूमि को सुधार कर कृषि उत्पादन योग्य बनाना ।

६१: फसल उत्पादकता मे वृद्धि हेतु कृषि बागवानी एवं कृषि वानिकी से सम्बन्धित कार्य करना ।

६२: जल भराव क्षेत्रो का उपचार कर फसलोउत्पादन तथा उत्पादकता वृद्धि को प्रोत्साहित करना ।

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

भारतीय गैर न्यायिक

वीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

36AA 132443

६३: किसानों की माली हालत सुधारने का प्रयास करना तथा मूल्यवान पौधे यथा शागौन, शाखू,शीशम आदि का रोपण करवाना एवं उसके खरीद-फरोख्त करना ।

६४: अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति,दलित,कमजोर एवं पिछड़े वर्ग के मुख्य रूप से गरीबी रेखा के नीचे लघु एवं सीमान्त कृषकों,भूमिहीनों,मजदूरों एवं ग्रामीण दस्तकारों को स्वःरोजगार में लगाने हेतु तकनीकी ज्ञान एवं प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करने का प्रयास करना ।

६५: जल संरक्षण,जल चक्र व जल संसाधन से सम्बन्धित सभी कार्यक्रमों का संचालन करना एवं स्वच्छ पेयजल लोगों को उपलब्ध कराने का प्रयास करना ।

६६: भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड के नियमानुसार कार्य करना ।

६७: गौ सेवा की मान्यता के अनुसार कार्य करना तथा जीव जन्तु हेतु समस्त प्रकार के कार्य करना ।

६८: जीव-जन्तु कल्याण बोर्ड से जीव जन्तुओं के कल्याणार्थ योजनाओं हेतु आवेदन करना तथा सहायता प्राप्त कर उन्हें भौतिक रूप से क्षेत्र में लागू करना तथा जीव जन्तुओं की रक्षा करने का प्रयास करना ।

६९: चयनित क्षेत्र के कृषकों को भूमि सैनिक के रूप में चयन करना तथा भूमि सैनिकों को एक सुसंगठित क्रियाशील समूह के रूप में गठित करना ।

७०: कृषि के उन्नतिशील का प्रयोगात्मक प्रशिक्षण देकर भूमि एवं जल संरक्षण उद्यानीकरण/कृषि वानिकी आदि कार्यों को अपनाकर आय में वृद्धि करना ।

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये Rs.20

रु.20 TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

36AA 132444

७१: जीव - जन्तुओं के कल्याणार्थ लोगों में जागृति पैदा करना ।

७२: जीव - जन्तुओं के प्रति क्रूरता के दृष्टिकोण को बदलना तथा लोगों के अन्दर जीव जन्तुओं के प्रति दया भाव पैदा करने का प्रयास करना ।

७३: हिन्दी सहित अन्य भाषाओं के विकास के लिए संस्था द्वारा प्रचार-प्रसार करना।

७४: कार्यक्षेत्र के अर्न्तगत आने वाले ग्रामीणों के आर्थिक,नैतिक व सामाजिक स्तर को सुधारने का प्रयास करना ।

७५: गरीबी कम करने तथा ग्रामवासियों में बेहतर जीवन स्तर,आपसी सहयोग एवं एकता लाने का प्रयास करना तथा सामान्यतया खादी और ग्रामोद्योगी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन द्वारा विकास करना ।

७६: खादी और ग्रामोद्योगी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु आनुषांगिक/प्रारम्भिक गतिविधियों को प्रारम्भ करना , तथा विभिन्न प्रकार के सामाजिक, राजनैतिक व आध्यात्मिक पत्र-पत्रिकाओं आदि का प्रकाशन एवं संचालन करना व समय-समय पर जनहित के लिए व पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए यज्ञ/हवन करना व करवाना तथा राष्ट्रहित एवं विश्वहित के लिए अलग-अलग संगठनों का निर्माण करना एवं इन्हें संचालित करना ।

७७: परियोजना क्षेत्र के भूमिहीन खेतिहर भूमि हीनिकों को कार्य हेतु भूमि का आंवटन कराकर खेती योग्य बनाना, स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना ।

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

उत्तर प्रदेश 3644 332445

७८: किसी व्यक्ति, प्रतिष्ठान, बैंक अथवा स्थानीय प्राधिकारियों अथवा खादी और ग्रामोद्योग कार्यक्रमों आयोग/अथवा राज्य मण्डल,और अथवा संस्था/और/अथवा/संघ/राज्य सरकार से चन्दा,दान,अनुदान,वसीयत,डोनेशन,उपहार और धरोहरों आदि को प्राप्त अथवा स्वीकार करना ।

७९: ट्रस्ट द्वारा अपने सभी अथवा किन्हीं उद्देश्यों को अग्रसर करने लिए किसी भी भूमि,भवन,सुखाचारी,तथा चल और/अथवा अचल सम्पत्ति और किसी सम्पदा अथवा हित को दान, क्रय-विनिमय, किराये या पट्टे द्वारा अथवा अन्यथा किसी भी तरह से अर्जित करना ।

८०: मकानों, संरचनाओं अथवा भवनों को बनाना, निर्माण तथा रख-रखाव तथा विद्यमान भवन सहित उसमें हेर-फेर,विस्तार,सुधार,मरम्मत,परिवर्तित अथवा विधित परिवर्तन एवं उसमें प्रकाश,नाली,पानी,फर्नीचरों,फुव्वारों,पंखों, उपकरणों,सविधों से सुसज्जित और प्रत्येक भवन जिसका निर्माण किया या धारित है। उपयोग के लिए अन्य आवश्यकताओं की व्यवस्था करना ।

८१: ट्रस्ट से सम्बन्धित जो भी परिसम्पत्तियों (चल एवं अचल) है का क्रय विक्रय, प्रबन्धक, हस्तान्तरण,विनिमय,बंधक,डिमाइस,पट्टा अथवा किराये पर देना निस्पादन अथवा सम्पत्ति के विषय में अन्यथा संव्यवहार करना ।

८२: ट्रस्ट से सम्बन्धित सभी अथवा किसी चल या अचल परिसम्पत्तियों पर जमानत रहित/या सहित अथवा बंधक प्रभार, भाराक्रान्ति या गिरवी रखना ।

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

36AA 132446

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

८३: ट्रस्ट की सभी अथवा किन्ही उद्देश्यो को अग्रसर करने के लिए शाखाऐं खोलना एवं संचालन करना और ऐसी अन्य गतिविधियो का उत्तरदायित्व उठाना ।

८४: ट्रस्ट की किसी भी गतिविधियो की उपलब्धि के लिए प्रशासनिक अथवा नेतृत्व सम्बन्धित सभी कानून समस्त कार्य तथा उसके लिए आवश्यक खर्च करना ।

८५: ट्रस्ट के लाभ का उपयोग ट्रस्ट के लक्ष्यो को पूरा करने मे किया जायेगा और उसे मुख्य ट्रस्टी/न्यासकर्ता अपने उपयोग मे ले सकता ।

८६: केन्द्रीय खादी ग्रामोद्योग बोर्ड ,उ० प्र० खादी कमीशन के पैटर्नानुसार खादी वस्त्रो एवं खादी कच्चे धागो का निर्माण करना तथा इसके लिए लघु उद्योगो की स्थापना व संचालन करके बेरोजगार लोगो को वस्त्र बनाने व बेचने का प्रशिक्षण देकर उन्हे स्वरोजगार मे स्थापित करने का प्रयास करना ।

८७: खादी का प्रचार-प्रसार करना तथा इसके निमित्त लघु उद्योगो की स्थापना एवं संचालन करना तथा खादी ग्रामोद्योग,खादीकमीशन,केन्द्रीय खादी बोर्ड से ऋण,अनुदान,दान,चन्दा आदि प्राप्त करना तथा उसकाउपयोग संस्था विकास एवं चैरिटेबुल कार्यो मे व्यय करना ।

८८: केन्द्रीय खादी ग्रामोद्योग आयोग/उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड से प्रमाण पत्र प्राप्त कर संस्था विकास मे कार्य करना ।

८९: ट्रस्ट के उद्देश्यो को अग्रसर करने के लिए बैंक/बैंको मे खाता/खाते खोलना तथा लेन-देन अथवा जैसी भी आवश्यकता हो बैंक/बैंको के साथ किसी भी तरीके से संव्यवहार करना ।

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

भारतीय गैर न्यायिक
बीस रुपये
Rs.20
रु.20
TWENTY RUPEES
INDIA
INDIA NON JUDICIAL
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 36AA 132447

६०: निर्धन एवं कमजोर वर्ग के लोगों के जीवन स्तर उठाने का प्रयास करना ।

६१: कार्यक्षेत्र के निवासियों विशेषकर कमजोर वर्ग के लोगों तथा गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों के सर्वांगीण विकास सम्बन्धी कार्यक्रमों का संयोजन तथा संचालन करना

६२: क्षेत्र के लोगों के जीवन स्तर को उठाने हेतु रोजगार के अवसरों का सृजन करना तथा ग्रामीण अर्थ व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने हेतु उद्योग तथा सेवाओं की विकास की योजनायें बनाना तथा कार्यक्रम चलाना ।

६३: क्षेत्र के समग्र विकास के परिपेक्ष्य में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड/खादी कमीशन बोर्ड द्वारा स्वीकृत प्रविधियों एवं पैटर्न के अनुसार मुख्यतः खादी और ग्रामोद्योग की गतिविधियों को अपनाना व विकास की योजना बनाना तथा खादी ग्रामोद्योग तथा अन्य ग्रामीण उद्योग (सरल इण्डस्ट्रीज) के विकास/प्रसार हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था करना ।

६४: मत्स्य पालन हेतु मत्स्य बीज की सप्लाई करने का प्रयास करना ।

६५: मत्स्य पालन हेतु तालाबों,पोखरों आदि का पट्टा लेना तथा उसमें मत्स्य पालन कर देश व जनता के विकास करने हेतु प्रयास करना ।

६६: मत्स्य पालन व्यवसाय को बढ़ावा देना तथा इस निमित्त व्यवसायियों को निःशुल्क प्रशिक्षण देना ।

६७: कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले तालाबों व पोखरों की साफ-सफाई व जीर्णोद्धार से सम्बन्धित हर प्रकार का कार्य करने का प्रयास करना ।

६८: मत्स्य पालकों में उत्पन्न आपसी विवाद को सद्भाव पूर्वक हल करने का प्रयास करना

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

Rs.20

रु.20

TWENTY RUPEES

भारत

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

36AA 132448

९९: मत्स्य बीज का उत्पादन करना व मत्स्य पालकों में निःशुल्क वितरण करना ।

१००: मत्स्य विकास में चलाई जा रही सभी योजनाओं का संचालन करने का प्रयास करना

१०१: समयानुसार संस्था के विकास हेतु बी०एड०,एम०एड०, बी०पी०एड०, बी०एल०एड०, डी०एल०एड०,सी०पी०एड०,बी०टी०सी०, यू०टी०सी०,एल०एल०बी० आदि प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन करना ।

१०२: उत्तर प्रदेश सरकार/भारत सरकार द्वारा संचालित योजनाओं यथा जनसेवा केन्द्र, कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्रों, तथा निःशुल्क ग्राहक सेवा केन्द्रों आदि की स्थापना व संचालन विभागीय अनुमति से करने का प्रयास करना ।

१०३: कार्यक्षेत्र के अर्न्तगत सी०बी०एस०ई० विद्यालयों,आई०सी०एस०ई० विद्यालयों,इन्दिरा गाँधी मुक्त विश्व विद्यालयों आदि की स्थापना व संचालन करना ।

१०४: पैरामेडिकल कालेज के अर्न्तगत नर्सिंगहोमों,फार्मेसी,पैथालाजी,रेडियोलाजी,फिजियोथैरेपी, आप्टोमिटी,जे०एन०एम०,ए०एन०एम०,नर्स, बी०फार्मा, डी० फार्मा, एम० फार्मा आदि प्रशिक्षण केन्द्रों तथा मेडिकल व इंजीनियरिंग कालेजों, विश्व विद्यालयों आदि की स्थापना एवं संचालन विभागीय अनुमति से करने का प्रयास करना ।

१०५: गो पालन एवं पशुपालन के माध्यम से भारत राष्ट्र को सुखी समृद्धिशाली सशक्त तथा सम्पन्न बनाने का प्रयास करना ।

१०६: गोवंश एवं कृषि के उपयोगी पशुधन को वध से बचाने का प्रयास करना ।

१०७: सम्पूर्ण गोवंश को कसाईयों एवं गोवंश तस्करी से छुड़ाने का प्रयास करना ।

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

36AA 132449

१०८: तस्करों एवं कसाईयों से छुड़ाये गये गोवंश एवं पशुधन को अपने अभिरक्षा में लेकर उनका भरण-पोषण एवं सेवा करने का प्रयास करना ।

१०९: गोवंश से सभी सम्बन्धित मुकदमों की पैरवी करना तथा तस्करों को कठोरतम दण्ड दिलाने का प्रयास करना ।

११०: गोवंश विकास योजना के माध्यम से बेकारी समस्या का निदान करना,जिससे महिला दुग्ध उत्पादक योजना भी संचालित करने का प्रयास करना ।

१११: पंच गव्य (गाय का दूध ,दही गोमूत्र,गोबर,गोघृत) से सभी प्रकार की औषधियों का निर्माण करना तथा गोबर से अगरबत्ती,साबुन,दंत मंजन, पाउडर आदि का निर्माण करने की सही व उचित राय देने का प्रयास करना ।

११२: उत्तम जाति के सांड़ों के माध्यम से गोवंश विकास करके अधिक दूध देने वाली जाति की संतानों को उत्पन्न करने का प्रयास करना ।

११३: गोमांस एवं मांस निर्यात पर विशेष ध्यान देकर मांस निर्यात रोकने का हर प्रकार से प्रयास करना

११४: कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आई०टी०आई०, पालिटेक्निक, इंजीनियरिंग कालेजों, मेडिकल कालेजों, आदि की स्थापना एवं संचालन करना ।

११५: पर्यावरण पारिस्थितकी से सम्बन्धित सभी कार्यक्रमों को संचालित करना व करवाना तथा ग्रीन इण्डिया एवं ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए जनजागरूकता फैलाने का प्रयास करना ।

११६: कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत सी०बी०एस०ई० विद्यालयों, आई०सी०एस०ई० विद्यालयों,इन्दिरा गाँधी मुक्त विश्व विद्यालयों,राजर्षि टण्डन मुक्त विश्व विद्यालयों आदि की स्थापना व संचालन करने का प्रयास करना, तथा दूरस्थ शिक्षा आदि का प्रबन्ध करना एवं विभिन्न विश्वविद्यालयों से सम्बद्धता प्राप्त कर शिक्षा के विकास हेतु कार्य करना ।

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

सत्यमेव जयते

INDIA

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

36AA 132450

११७: समाज में व्याप्त कुरीतियों एवं अन्धविश्वासों से सम्बन्धित समस्याओं को दूर करने व कराने का प्रयास करना।

११८: कम्प्यूटर प्रशिक्षण हेतु राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने का प्रयास करना।

११९: बेरोजगार युवक/युवतियों को शिक्षित प्रशिक्षित कर उन्हें स्वरोजगार में स्थापित करने का प्रयास करना

१२०: राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत चल रहे मलेरिया, काला आजार, डेंगू बुखार, चिकन गुनिया, जापानी इनसेफलाइटिस, फाइलेरिया, क्षय रोग, टीका रोग, राष्ट्रीय कार्यक्रम, राष्ट्रीय संचारी रोग, निगरानी कार्यक्रम, कैंसर, टी०बी०, पेचिश, मिर्गी, कुष्ठ, दाद आदि के उन्मूलन एवं नियंत्रण हेतु कार्यक्रमों में सहभागिता द्वारा लोगों को प्रोत्साहित करना तथा स्वास्थ्य सुविधायें चिकित्सीय अनुमति से प्रदान करने का प्रयास करना।

१२१: ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा हेतु प्रयास करना तथा गरीब, असहाय, लोगों को भोजन, चिकित्सा, आवास, वस्त्रादि निःशुल्क प्रदान करने का प्रयास करना।

१२२: कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत बौद्ध विहार स्थापना व संचालन करना तथा पुराने बौद्ध विहारों की देख-भाल, सुरक्षा तथा जीर्णोद्धार आदि से सम्बन्धित हर प्रकार कार्य करना।

१२३: बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सपनों को साकार करने हेतु सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन एवं संचालन करके उनके कृतियों का समाज में प्रचार-प्रसार करने का प्रयास करना तथा बौद्ध विहार आदि की स्थापना व संचालन करने का प्रयास करना।

१२४: ट्रस्ट द्वारा पूरे भारत वर्ष में संचालित किसी अन्य ट्रस्ट, सोसाइटी, कम्पनी द्वारा संचालित किसी भी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों का अधिग्रहण/विलय करना।

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

भारतीय गैर न्यायिक
बीस रुपये
Rs.20
रु.20
TWENTY RUPEES
INDIA
INDIA NON JUDICIAL
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 36AA 132451

१२५: भीमराव अम्बेडकर प्रतिमाओं, बौद्ध विहारों आदि का जीर्णोद्धार,निर्माण, सुन्दरीकरण, सफाई आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करने का प्रयास करना

१२६: भारत सरकार,प्रदेशसरकार,जिला ,तहसील,ब्लाक तथा ग्राम पंचायत स्तर पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमाओं व बौद्ध विहार के जीर्णोद्धार की योजनाओं एवं विकास के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करना ।

१२७: बौद्ध विहार में आने वाले आगन्तुकों के लिए विश्रामकक्षों,स्वच्छ पेय जल,शौचालय,मूत्रालय आदि का प्रबन्ध करना ।

१२८: बौद्ध विहार की चल/अचल सम्पत्ति की देख-भाल व सुरक्षा करना ।

१२९: समय-समय पर बौद्ध धम्म दीक्षा समारोह का आयोजन तथा दीक्षा ग्रहण करने वाले बौद्धों को दीक्षा प्रमाण पत्र विभागीय अनुमति से निर्गत करने का प्रयास करना ।

१३०: बौद्ध धम्म से जुड़े सभी संस्कारों का सम्पादन करना तथा विभागीय अनुमति से प्रमाण पत्र निर्गत करने का प्रयास करना ।

१३१: बौद्ध धम्म का प्रचार-प्रसार करने का प्रयास करना ।

१३२: दलित,शोषित तथा निर्धन लोगों में फैली अशिक्षा,अन्धविश्वास तथा कुरीतियों को दूर करने का प्रयास करना ।

१३३: कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले सरकारी कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा हेतु कार्य करना ।

१३४: कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों आदि के बीच उत्पन्न आपसी विवाद को सद्भाव पूर्वक हल करने का प्रयास करना ।

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH -२३- 29AA 643176

१३४: कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले समस्त सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों आदि को एकजुट कर उनकी मांगों सद्भाव पूर्वक सरकार से हल कराने का प्रयास करना ।

१३५: सरकारी कर्मचारियों के कल्याणार्थ चलाये जा रहे समस्त सरकारी एवं गैर सरकारी, देशी एवं विदेशी योजनाओं का प्रचार-प्रसार करना एवं उनकी भी सुविधाओं को समिति के माध्यम से दिलाने का प्रयास करना ।

१३६: सरकारी कर्मचारियों,अधिकारियों के उपर हो रहे अनैतिक अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाना तथा उन्हें एक जुट कर अपनी मांगों को लेकर सरकार के समक्ष स्वयं अथवा कोर्ट के माध्यम से अपना विचार प्रकट करना ।

१३७: मृदा स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रमों का आयोजन व संचालन करना तथा किसानों को मृदा स्वास्थ्य परीक्षण के बारे में जानकारी प्रदान करना ।

१३८: कृषि यन्त्रीकरण को बढ़ावा देना तथा नये कृषि यन्त्रों को उपलब्ध कराने का प्रयास करना ।

१३९: हरितक्रान्ति योजना को सफल बनाने का प्रयास करना तथा उसके द्वारा संचालित समस्त कार्यक्रमों का आयोजन एवं संचालन, तथा दुग्ध उत्पादन केन्द्र (डेयरी) की स्थापना व संचालन करना ।

१४०: मेड़बन्दी, भूमिसमतलीकरण एवं अन्य कृषि यान्त्रिकी को प्रोत्साहन देना, तथा उससे सम्बन्धित योजनाओं का आयोजन एवं संचालन विभागीय अनुमति से करने का प्रयास करना ।

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 29AA 643177

१४१: समाज को क्षति करने वालों या समाज में भ्रम फैलाने वालों को विधिक एवं कानूनी दण्ड दिलाने का प्रयास करना ।

१४२: राज्य सरकार, केन्द्र सरकार, समाज कल्याण, अल्पसंख्यक, हरिजन कल्याण, बाल कल्याण, महिला कल्याण आदि विभिन्न विभागों द्वारा जारी जनकल्याणकारी योजनाओं का आयोजन एवं संचालन करने का प्रयास करना

१४३: ठेकेदारी, गात, लेबर व कर्मचारी आदि की सप्लाई करना, पावरोट प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन करना तथा सीमेन्ट ईंट का निर्माण, मिट्टी ईंट का निर्माण, पेट्रोल पंप आदि की स्थापना व संचालन करना ।

१४४: बालू खनन, मार्बल खनन, पत्थर खनन, लोहा खनन, कोयला खनन, तालाब खनन आदि विभिन्न प्रकार के खनिज विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रमों का आयोजन एवं संचालन करने का प्रयास करना ।

१४५: लेबर बाजार के बारे में लोगों को निःशुल्क जानकारी देना, तथा इस निमित्त पत्र, पत्रिकाओं, अखबारों व अन्य दैनिक साप्ताहिक पत्रों व पत्रिकाओं का प्रकाशन व मुद्रण करने का प्रयास करना ।

१४६: ट्रस्टीगण में ट्रस्ट की सम्पत्ति यथा भूमि, भवन का क्रय-विक्रय (बेचना व खरीदना) कन्वेन्स, एग्रीमेन्ट, पट्टे, तथा भाड़े आदि पर देना एवं बैंक में ट्रस्ट की कोई भी सम्पत्ति मार्गेज करवाना, लोन लेना, ट्रस्ट के विकास के लिए एन०आर०आई० एवं एन०आर०ओ० खाता खुलवाना तथा विदेश से प्राप्त धन को जनहित व ट्रस्टहित में व्यय करने का प्रयास करना ।

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 29AA 643178

१४७: मरणोपरान्त अंगदान के इच्छुक व्यक्ति से अंग प्राप्त कर उसे जरूरत मंदो को प्रदान करने का प्रयास करना तथा आई बैंक का संचालन करना ।

१४८: मानव जाति में सतू प्रेम भक्ति रसधारा के माध्यम से दया, करूणा, प्रेम व मैत्री की भावना जागृत करने का प्रयास करना ।

१४९: वर्तमान भौतिक युग में बढ़ती विषमता व अलगाव वाद को दूर करने का प्रयास करना तथा मानव को प्रेम के द्वारा अपने परिवार व समाज से जोड़ने का प्रयास करना ।

१५०: सतू प्रेम के द्वारा पूर्व मानव सुधार हेतु कार्य करना तथा सतू प्रेम, योग, ध्यान, समाधि आदि द्वारा आत्म जागरण एवं ईश्वर प्राप्ति के मार्ग को प्रदर्शित करने का प्रयास करना ।

१५१: योग, आयुर्वेदिक,प्राकृतिक, होम्योपैथिक आदि पद्धति द्वारा लोगों को मानसिक एवं शारीरिक निरोग करने का प्रयास करना ।

१५२: इलेक्ट्रानिक मीडिया, प्रिन्ट मीडिया, दूरदर्शन,टेलीवीजन,आकाशवाणी, दूरभाष केन्द्रो आदि की स्थापना व संचालन करना, तथा समाचार पत्र-पत्रिकाओं, साप्ताहिक पत्रिकाओं, मासिक पत्रिकाओं, त्रैमासिक पत्रिकाओं की स्थापना, प्रकाशन, मुद्रण व संचालन करने का प्रयास करना ।

१५३: युवाओं में खेलों के प्रति उनके अन्दर जागरूकता पैदा करने का प्रयास ।

१५४: ग्रामीण व पिछड़े इलाके से कुशल खिलाड़ियों का चयन करना तथा उन्हें नि:शुल्क प्रशिक्षण देने का प्रयास करना ।

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 29AA 643179

१२५: युवाओं खिलाड़ियों के लिए अनुभवी कोचों की व्यवस्था करना तथा उन्हें विभिन्न प्रकार के खेलों का हर सामान उपलब्ध कराने का प्रयास करना ।

१२६: भारत सरकार,प्रदेश सरकार,जिला,तहसील,ब्लाक तथा न्याय पंचायत स्तर पर युवाओं के विकास हेतु चलायी जा रही विशेष खेल योजनाओं को क्रियान्वित करना ।

१२७: युवाओं के हितों की रक्षा हेतु कार्य करना तथा उन्हें सरकार द्वारा चलायी जा रही खेल से सम्बन्धित हर योजनाओं का लाभ पहुँचाने का प्रयास करना ।

१२८: युवाओं को शिक्षित-प्रशिक्षित कर स्वरोजगार में स्थापित कराने का प्रयास करना ।

१२९: युवाओं को एकत्र कर उनकी संगोष्ठियां,विचारगोष्ठियां कराना तथा उनके विचारों को आदान-प्रदान करने का प्रयास करना ।

१३०: कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न मैटेरियल, लेबर व कर्मचारी आदि उपलब्ध कराने आदि सम्बन्धित हर प्रकार का कार्य करना ।

१३१: गांवों में रहने वाली गरीब जनता के स्वास्थ्य विकास हेतु जगह-जगह चौपालों,जनजागरूकता कार्यक्रमों,प्रदर्शनियों आदि के द्वारा लोगों को घरों में शौचालय बनाने के लिए प्रेरित करना तथा जगह-जगह निःशुल्क शौचालयों,मूत्रालयों,पेयजल सफाई एवं निःशुल्क व्यवस्था व संचालन करने का प्रयास करना ।

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 29AA 643181

प्रारम्भिक उपबन्ध :-

१: वर्तमान में ट्रस्ट डीड के पंजीकृत दिनांक १०-०८-२०१७ से श्री मनीष कुमार मिश्र जो कि न्यासकर्ता एवं इस न्यास विलेख के रचयिता भी है, को इस ट्रस्ट डीड का मैनेजिंग ट्रस्टी यानी प्रबन्धक स्वीकृत किया जाता है ।

२: यदि कोई अन्य व्यवस्था वर्तमान में मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक श्री मनीष कुमार मिश्र द्वारा रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्ट्री कर सुनिश्चित किया जाय तो उनके पश्चात उनके योग्य पुत्र/पुत्री जो कि इस ट्रस्ट के ट्रस्टी होंगे । यदि उनके योग्य पुत्र/पुत्री बालिग न हो तो उनकी पत्नी इस ट्रस्ट की तब तक मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक होंगी जब तक उनके पुत्र/पुत्री कानूनी रूप से बालिग न हो जाय ।

३: वर्तमान में मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक अपने जीवन काल में ही जब चाहे, अपना उत्तर दायित्व अपने उत्तराधिकारियों या किसी को स्थानान्तरित कर सकता है

४: यदि श्री मनीष कुमार मिश्र के निधन के समय उनके बच्चे नाबालिग हो तो उनकी ओर से उनकी पत्नी को मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक का कार्य तब तक सम्भालना होगा जब तक कि उनके पुत्र/पुत्री कानूनी रूप से बालिग न हो जाय ।

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

29AA 643182

५: मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक को चाहिए कि अपने उत्तराधिकारी मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक लिखित रूप से अपने हस्ताक्षर करके व्यक्त कर दे यदि ट्रस्ट में किसी भी बिन्दु का संशोधन करना है तो इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी स्टाम्प पर उक्त संशोधन टंकित कर रजिस्ट्रार के कार्यालय में प्रस्तुत कर स्वयं उपस्थित होकर संशोधन कराने का अधिकार मुख्य ट्रस्टी/प्रबन्धक को होगा तथा ट्रस्टी /प्रबन्धक को यह भी अधिकार होगा कि वह स्टाम्प पेपर पर प्रबन्ध समिति का गठन कर उसे रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्ट्री करा लें। इस सन्दर्भ में यह भी स्पष्ट करना है कि कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक द्वारा अपने जीवनकाल के उत्तरार्ध में की गयी रजिस्ट्री/वसीयत ही अन्तिम रूप से मान्य होगी।

६: यदि कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक अपने जीवन काल में अपना कार्यभार अपने उत्तराधिकारी को वास्तविक रूप से हस्तान्तरित कर देता है तो वह अपने निर्णय पर पुनः विचार नहीं कर सकेगा।

७: कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक तभी अपने उत्तराधिकारी हस्तान्तरण विषय पर विचार एवं पुनः विचार करने हेतु स्वतंत्र है जब तक कि वास्तविक रूप से कार्यभार अपने उत्तराधिकारी को न प्रदान कर दे।

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

29AA 643183

-३०-

बोर्ड आफ ट्रस्टीज

१: यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक यदि उचित समझे तो नियमों पर विचार विमर्श करने एवं सलाह प्राप्त करने हेतु बोर्ड आफ ट्रस्टीज का गठन कर सकता है । जो इन्टरमीडिएट एजूकेशनल ऐक्ट के अनुसार अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रबन्धक/सचिव, उपप्रबन्धक/उपसचिव, कोषाध्यक्ष सात सदस्य व तीन पदेन सदस्य होंगे जिनकी कुल संख्या १२ होगी

२: बोर्ड आफ ट्रस्टीज के गठन हेतु इच्छुक व्यक्ति मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक के पास रुपया १०,०००/- जमा कर बोर्ड आफ ट्रस्टीज बन सकता है परन्तु उनका कार्यकाल मात्र एक वर्ष का होगा ,जिसे किसी भी समय बिना कोई सूचना दिये मैनेजिंग ट्रस्टी / प्रबन्धक समाप्त कर सकता है जिसके खिलाफ कोई वाद किसी भी माननीय न्यायालय स्तर पर दायर नहीं किया जा सकता है।

३: यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक किसी भी व्यक्ति को ट्रस्टी मनोनीत करते समय उसका कार्यकाल स्पष्ट करेगा । ट्रस्टी का कार्य अवधि मैनेजिंग ट्रस्टी/ प्रबन्धक की इच्छा पर निर्भर करेगा, तथा मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक किसी भी ट्रस्टी का कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व ही बिना किसी को कोई कारण बताये उसका ट्रस्टी का पद समाप्त कर सकता है ।

४: मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक जब भी उचित समझे बोर्ड आफ ट्रस्टी की बैठक बुला सकता है । जिसकी अध्यक्षता स्वयं मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक ही करेगा ।

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH -३१- 29AA 643184

५: बोर्ड आफ ट्रस्टीज उन्हीं विषयों पर विचार करेगा, तथा सुझाव देगा जिनको कि मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा ।

६: बोर्ड आफ ट्रस्टीज द्वारा दिये गये किसी भी सुझाव को मानना, स्वीकार करना अथवा अस्वीकार करना, पूर्णतया मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक की इच्छा एवं विवेक पर निर्भर करता है । इस सन्दर्भ में मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक के द्वारा लिया गया निर्णय ही मान्य व अन्तिम निर्णय होगा ।

मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक का कार्यकाल एवं सुविधायें :-

१: मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक को ट्रस्ट द्वारा विभिन्न सुविधाओं से युक्त कार्यालय एवं वाहन की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी । इन सुविधाओं के स्तर पर सुनिश्चित करने में मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक का निर्णय ही अन्तिम रूप से मान्य होगा ।

२: मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक अपना उत्तरदायित्व वहन करने हेतु ट्रस्ट से मासिक मानदेय/भत्ते आदि पर यदि कोई आय कर लगाता है तो मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक स्वयं अपनी प्राप्त आय से ही आय कर का भुगतान करेगा ट्रस्ट इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा ।

३: मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक अपने पद पर आजीवन बना रह सकता है । उसके न रहने पर मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक से खून (खून) का रिश्ता रखने वाला ही मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक होगा ।

४: मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक जब भी चाहे वे ट्रस्ट का नाम व पता परिवर्तित कर सकता है ।

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 29AA 643185

कार्यक्षेत्र

ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारत वर्ष सहित सम्पूर्ण विश्व होगा। सामाजिक उत्थान हेतु विश्व के किसी राष्ट्र व व्यक्ति विशेष से सहायता एवं उपहार,अनुदान, दान,चन्दा,ऋण,उपहार, डोनेशन आदि प्राप्त कर सकता है अथवा सहायता व सलाह दे सकता है।

मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक का विशेषाधिकार :-

१: मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक को यह विशेषाधिकार प्राप्त होगा कि वह ट्रस्ट के अन्तर्गत कार्यरत किसी भी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा लिए गये निर्णय में हस्तक्षेप कर निरस्त/स्वीकृत/अस्वीकृत, संशोधित कर दे। मैनेजिंग ट्रस्टी/ प्रबन्धक ट्रस्ट के कार्यकलापों में किसी भी स्तर पर कोई भी दिशानिर्देश दे सकता है,जो सभी सम्बन्धित पक्षों को अन्तिम रूप से मान्य एवं स्वीकार्य होगा।

२: मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक ट्रस्ट की किसी भी चल/अचल सम्पत्ति का क्रय विक्रय कर सकता है।

३: ट्रस्ट की सम्पत्ति को क्रय-विक्रय (बेचने व खरीदने) का अधिकार मैनेजिंग ट्रस्टी/ प्रबन्धक के पास सुरक्षित होगा।

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 29AA 643186

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रबन्धक/सचिव ,उपप्रबन्धक/उपसचिव ,कोषाध्यक्ष सहित सात सदस्य व तीन पदेन सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार

१: मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक ट्रस्ट के लिए प्रतिदिन के कार्यों को करने एवं देख-भाल करने के लिए ट्रस्ट के लिए उक्त पदों की नियुक्ति कर सकता है ।

२: उक्त पदों के वेतन भत्ते,सुविधायें, कार्यनिपन मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक निश्चित करेगा ।

३: उक्त व्यक्ति मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक के अनुग्रह तथा प्रसाद पर्यन्त कार्य करेंगे मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक किसी भी समय बिना कोई कारण बताये उक्त पदों पर कार्यरत व्यक्तियों के विरुद्ध प्रशासनिक शिक्षिक, अनुशासनात्मक/ प्रशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है ,अथवा उक्त पदों के अधिकार एवं कर्तव्य किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित/प्रदान कर सकता है, जिसके विरुद्ध किसी भी प्रधाधिकारी/सदस्य/कर्मचारी को किसी भी न्यायालय कोई वाद दायर करने का अधिकार नहीं होगा ।

४: उक्त पदों के सृजन हेतु मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक उचित समझें तो दस रुपये के स्टैम्प पेपर पर उक्त लोगों के नाम, पिता/पति का नाम, पता व पद को लिखित कर रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्ट्री कर सुनिश्चित कर सकते है ।

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 29AA 643187

५: इण्टर मीडिएट एजूकेशनल ऐक्ट के अनुसार मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक यदि उचित समझे तो अपने विवेकानुसार एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष एक प्रबन्धक/सचिव, एक उपप्रबन्धक/उपसचिव एक कोषाध्यक्ष सहित सात सदस्य व तीन पदेन सदस्यों का पद सृजन कर सकता है। इनका कार्यकाल मात्र एक वर्ष का होगा, लेकिन ट्रस्टी प्रबन्धक जब भी चाहे अथवा एक वर्ष बाद इनके कार्यों से सन्तुष्ट हो तो इन्हें पुनः उसी पद पर रख सकता है अथवा असन्तुष्ट होने पर उनको उक्त पद से जब भी चाहे हटा सकता है।

६: उक्त निष्कासन के बाद किसी भी सदस्य/पदाधिकारी को किसी भी माननीय न्यायालय स्तर पर किसी भी प्रकार का कोई वाद दायर नहीं कर सकता है। मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक का निर्णय ही मान्य होगा।

मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक के अधिकार व कर्तव्य

१: बोर्ड आफ ट्रस्टी के बैठक बुलाना एवं उसकी अध्यक्षता करना।

२: ट्रस्ट के समस्त कार्यों का उत्तरदायी ढंग से देख-रेख करना।

३: ट्रस्ट के अन्तर्गत उल्लेखित ट्रस्ट के उद्देश्य एवं नियमावली में संशोधन/परिवर्तन करके रजिस्टार के पास रजिस्ट्रीकृत कराना एवं उसे मान्य करवाना,तथा आवश्यकता पड़ने पर ट्रस्ट की सम्पत्ति का क्रय-विक्रय करना।

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 29AA 643188

४: ट्रस्ट के उद्देश्यो की पूर्ति करने हेतु सभी उपाय व कार्यवाही करना ।

५: ट्रस्ट के अन्तर्गत होने वाले सभी कार्यकलापों एवं दिन प्रतिदिन की गतिविधियों पर नियन्त्रण रखना ।

६: ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित कार्यों हेतु पदाधिकारियों की नियुक्ति, पद मुक्ति तथा उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक प्रशासनिक कार्यवाही करना ।

७: विभिन्न कार्यकलापों एवं उद्देश्यों को पूर्ण करने हेतु बोर्डों/विभागों/ केन्द्रों/ संस्थाओं/उपसंस्थाओं का गठन करना उनके संयोजकों/निदेशकों पदाधिकारियों आदि के संचालन हेतु आवश्यकतानुसार नियम/उपनियम बनाना ।

८: ट्रस्ट को प्राप्त किसी भी शिकायत पत्र की जाँच कर निर्णय देना ।

१०: एक से अधिक विशेष कार्य अधिकारी नियुक्त होने की स्थिति में उनका कार्य विभाजन करना ।

११: ट्रस्ट के प्रचार/प्रसार/मुद्रण/प्रकाशन/वितरण/विक्रय की सर्वोत्तम व्यवस्था करना।

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 29AA 643189

:- खाता संचालन की व्यवस्था -:

१: ट्रस्ट का खाता किसी बैंक, वित्तीय संस्था अथवा पोस्ट आफिस में ट्रस्ट के नाम से खोला जायेगा । जिसका संचालन मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक द्वारा किया जायेगा।

२: ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित अथवा कार्यरत किसी भी विद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान/केन्द्र/कार्यक्रम/इकाई/कार्यालय का पृथक-पृथक नाम से बैंक खाता संचालित किया जा सकता है । ऐसी स्थिति में स्वयं मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा ही खाते का संचालन किया जायेगा ।

विधिक कार्यवाही

यदि ट्रस्ट की ओर से कोई विधिक कार्यवाही की जाती है या उसके विरुद्ध कोई विधिक कार्यवाही होती है तो, मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक की अनुमति से अधिवक्ता नियुक्त होगा एवं विभिन्न न्यायालयों में पैरवी स्वयं अथवा ट्रस्टी द्वारा नियुक्त किसी अन्य सक्षम पदाधिकारी/सदस्य द्वारा किया जायेगा ।

सम्पत्ति सम्बन्धित :-

१: ट्रस्ट के चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में ट्रस्टी वह सभी अधिकार रखता है जो कि एक नागरिक व्यक्ति को प्राप्त होते है ।

२: ट्रस्ट की ओर से चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में ट्रस्ट की ओर से कोई निर्णय लेने, लेख-विलेख बनाने हेतु मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक किसी व्यक्ति को अधिकृत कर सकता है ।

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

29AA 643190

३: ट्रस्ट का मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक ट्रस्ट की ओर से चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी लेख-विलेख बनाने एवं निर्णय करने हेतु पूर्णतः समर्थ एवं अधिकृत होगा ।

४: मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक ट्रस्ट के चल/अचल सम्पत्ति का क्रय-विक्रय पट्टा कर सकता है, अथवा रेहन रख सकता है या किराये पर दे अथवा ले सकता है ।

५: ट्रस्ट किसी भी व्यक्ति,प्रतिष्ठान,संस्था,राज्य सरकार,केन्द्र सरकार अथवा विदेशी सरकार से ऋण, दान, अनुदान,उपहार, चन्दा,आवह, भेंट,सम्मान पुरस्कार,स्मृति चिन्ह, मानदेय आदि प्राप्त व प्रदान कर सकता है ।

६: ट्रस्ट अपनी आय को कहीं भी विनियोजित कर सकता है , सुरक्षित कर सकता है । किसी भी संस्था, कम्पनी आदि की किसी योजना में अपनी आय को विनियोजित कर सकता है ।

७: चल /अचल सम्पत्ति की प्रतिभूति, भाड़ा, क्रय, अनुज्ञप्ति, बन्धक, भारावक्रान्ति विनियोजित आदि कर सकता है, तथा ले अथवा दे सकता है

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 29AA 643191

-३८-

अतिरिक्त नियमों का समावेश :-

(अतिरिक्त नियमों का समावेश) निम्नलिखित नियमों का समावेश ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालयों के संचालन हेतु किया गया है ।

क: विद्यालय के पंजीकृत ट्रस्ट का कार्यकाल आजीवन होगा ।

ख: विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित सदस्य होगा ।

ग: विद्यालय में कम से कम १० प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति /अनुसूचितजन जाति के गरीबी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ०प्र०माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।

घ: ट्रस्ट द्वारा राज्य सरकार से हर प्रकार के अनुदान की माँग की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजूकेशन नई दिल्ली/कौंसिल फार इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट इक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषद से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से ही सी०बी०एस०ई० विद्यालय का संचालन प्रारम्भ कर दिया जायेगा ।

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये Rs.20

रु.20 TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 29AA 643192

-३६-

ङ: ट्रस्ट के शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों के अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे ।

च: कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के कर्मचारियों के अनुमन्य सेवा निवृत्त लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।

छ: राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे ट्रस्ट उनका पालन करेगा ।

ज: विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा ।

झ: उपरोक्त शासन के नियम/प्रतिबन्ध क्र०सं० क से ज तक हमें स्वीकार है । उक्त शर्तों में बिना शासन के पूर्वानुमोदन के कोई परिवर्तन/संशोधन नहीं किया जायेगा ।

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

न्यासी

Registration No.: 56 Year: 2017 Book No.: 4

0101 [illegible] कुमार सिंह

[illegible]

[illegible]

:- विशेष -:

१: इस ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित/कार्यरत किसी भी विद्यालय/महाविद्यालय कार्यक्रम इकाई, कार्यालय, संस्था उपक्रम के कार्य संचालन हेतु पृथक-पृथक रूप से कमेटियों का गठन किया जायेगा।

२: नियम/उपनियम आदि बनाये जा सकते है, परन्तु यदि वह इस डीड आफ ट्रस्ट के उद्देश्य व निमयावली के किसी भी प्रावधान का अतिक्रमण करते है, तो वह नियम/उपनियम,अतिक्रमण की सीमा तक शून्य है।

३: मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक यदि उचित समझे तो किसी भी परिस्थिति में इसट्रस्ट /डीड के किसी प्रावधानों को शिथिल कर सकते है, तथा प्रतिबन्धों के होते हुए भी अन्यथा निर्णय ले सकता है। इस सम्बन्ध मे मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक का निर्देश/व्यवस्था ही अन्तिम होगी। इस धारा के अन्तर्गत मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक द्वारा की गयी किसी भी कार्यवाही को कहीं भी किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। ट्रस्ट की उक्त न्यास विलेख एवं उसमें सन्निहित सभी उपदेशों एवं नियमावली एतद् द्वारा अधिनियमित, अनुमोदित,घोषित, धारित,आत्मसमर्पित है तत्काल से कार्यान्वित की

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

२३/१५९/१० [illegible]

[illegible] १०.८४/७

[illegible]

गवाह

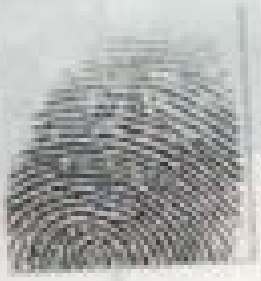

Registration No: 58 Year: 2017 Book No.: 4

W1 [illegible] संदीपराय

[illegible]

[illegible]

कृषि

W2 [illegible]

[illegible] सतीशपाण्डेय

[illegible]

कृषि

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

29AA 643194

जाती है कि उक्त न्यास विलेख को पढ़कर एवं समझकर संचालित करने हेतु निम्न साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर बना दिये है ।

दिनांक 11-08-2017 हस्ताक्षर गवाह

मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक
का हस्ताक्षर

टाइपकर्ता (किशोरी यादव)
प्राइवेट टाइपिस्ट दीवानी कचहरी
आजमगढ़ ।

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

आज दिनांक 11/08/2017 को

बही सं 4 जिल्द सं 64

पृष्ठ सं 209 से 290 पर क्रमांक 56

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

उप निबन्धक सणडी

सणडी

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)